

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक :- 08/09/2017

विषय:-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश मद (Top-up) में रू० 70087.46 लाख (सात सौ करोड़ सतासी लाख छियालिस हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार के वृद्ध, विधवा एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन केन्द्रीय पेंशन योजनाएँ तथा मृत्यु अनुदान योजना कार्यान्वित हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में (01 जुलाई, 2014 से) पेंशन योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा भी अंशदान किया जा रहा है। चालु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू० 165740.00 लाख (एक हजार छः सौ सनतावन करोड़ चालीस लाख रुपये) तथा राज्यांश मद (Top-up) में रू० 35500.00 लाख (तीन सौ पचपन करोड़ रुपये) अर्थात् कुल रू० 201240.00 लाख (दो हजार बारह करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र का मूल बजट स्वीकृत था, जिसकी स्वीकृति पत्रांक-774 दिनांक-06.06.2017 द्वारा दी गयी है।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक से राज्यांश मद (Top-up) में रू० 70087.46 लाख (सात सौ करोड़ सतासी लाख छियालिस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्नरूपेण कॉलम-6 में अंकित विवरणी के अनुसार दी जाती है :-

रू० लाख में						
क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	2017-18 में बजट उपबंध	पत्रांक-774 दिनांक-06.06.2017 द्वारा स्वीकृत राशि	स्वीकृति की राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (राज्यांश-Top up)	51-2235031010304	74000.00	24000.00	50000.00	74000.00
		51-2235037890305	31587.46	11500.00	20087.46	31587.46
		कुल योग	105587.46	35500.00	70087.46	105587.46

(सात सौ करोड़ सतासी लाख छियालिस हजार रुपये)मात्र

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह राशि राज्यांश मद (Top-up) में सामान्य घटक में, बजट शीर्ष मांग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उप शीर्ष-0304-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), विपत्र कोड-51-2235031010304, पी०एफ०एम०एस० कोड-9182, विषय शीर्ष-0304.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू० 74000.00 लाख (सात सौ चालीस करोड़ रुपये) से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में,

21/9/17

कृ०पृ०उ०.....2/

aw

बजट शीर्ष माँग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), विपत्र कोड सं०-51-2235037890305, पी०एफ०एम०एस० कोड-9182, विषय शीर्ष-0305.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रु० 31587.46 लाख (तीन सौ पन्द्रह करोड़ सतासी लाख छियालिस हजार रूपये) से विकलनीय होगा।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना होंगे जो कि योजना का क्रियान्वयन पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करायेंगे। सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो राशि की निकासी कर "सक्षम" (State Society for Ultra Poor & Social Welfare - SSUPSW) को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उनके खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। सक्षम द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार डी०बी०टी० हेतु राशि उपलब्ध करायी जायगी।

4. योजनावार एवं घटकवार, उप शीर्षवार एवं विषयवार प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकेगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि सहायक अनुदान-गैर वेतन ईकाई (31-06) में प्रावधानित है। सक्षम द्वारा प्राप्त Pre-receipt Voucher के आधार पर पेंशन भुगतान में आवंटित राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-42 पर की जायगी तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार महालेखाकार, बिहार को भेजा जाएगा।

6. योजना के व्यय में महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. वित्त विभाग के ज्ञापांक- एम.4-53/2007-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका-8 में निहित निदेश के अनुसार पूर्व से संचालित इस योजना में प्रावधानित राशि की निकासी की स्वीकृति के लिए प्रशासी विभाग को प्रदत्त शक्ति के आलोक में यह आदेश निर्गत है।

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि की निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजने की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

9. मूल संचिका सं०-1/सा०सु० एन०एस०ए०पी०-02/2014 के टिप्पणी पृष्ठ सं०-10/टि० पर दिनांक-22.05.2014 को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

10. इस स्वीकृति आदेश में संचिका सं०-1/सा०सु० एन०एस०ए०पी०-05/2017 के टिप्पणी पृष्ठ सं०-20/टि० पर दिनांक-07/09/2017 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

2.10.17

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापक:-1/सा0सु0 एन0एस0ए0पी0-05/2017 स0क0- 1328 पटना, दिनांक- 08/09/2017
प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी
जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा
कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापक:-1/सा0सु0 एन0एस0ए0पी0-05/2017 स0क0- 1328 पटना, दिनांक- 08/09/2017
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान
सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/वरीय प्रशासी पदाधिकारी,
सक्षम, अपना घर, पटना/आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा एवं लेखा
शाखा, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

(21/09/17)